<u>**न्यायालय न्यायिक मजि0 पुरवा उन्नाव।**</u>

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–541/2026

सरकार बनाम अनिल कुमार

<u>**दिनांक–08.07.2026**</u>

आवेदक/अभियुक्त अनिल कुमार की ओर से मु0सं0–156/2025 अ0सं0–197/2024, धारा 379 भा0दं0सं0, थाना मौरांवा, जिला उन्नाव के प्रकरण में प्रार्थनापत्र पर वर्णित आधारों पर नियमित जमानत हेतु याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर धारा 379 भा0दं0सं0, का आक्षेप लगाया गया है। अभियुक्त आज तक अन्तरिम जमानत पर था। उसके द्वारा जमानत का दुरूप्रयोग नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में पारित विधि व्यवस्था Satender kumar Antill Vs. Central Bureau of Investingation and others (2021) 10 SCC 773 में प्रतिपादित विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के प्रकाश में आधार जमानत पर्याप्त है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की गंभीरता एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत आधार जमानत पर्याप्त है।

<u>**आदेश**</u>

अभियुक्त अनिल कुमार के द्वारा मु0 20,000–20,000/–रू0 रूपये का स्वबन्ध पत्र एवं पूर्व में दाखिल समान धनराशि की एक प्रतिभू पर उसे नियमित जमानत पर रिहा किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुरवा,उन्नाव।